5 रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(83)

नि॰ -1023-III-16

न्यायालय समक्ष अध्यक्ष मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015 – 16 निगरानी

मृतक बाला बाई पत्नी स्वरूप नारायण शर्मा पुत्री रामनाथ द्वारा वारिसान :-

दिनांक 29.3.16 को श्री एस. एन. आर्य अभि. द्वारा प्रस्तुत।
29.3.16
SO

1- निर्मल कुमार शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री स्वरूप नारायण शर्मा आयु 45 साल,

2- श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र स्वरूप नारायण शर्मा आयु 37 साल

2- मृतक मुन्नी बाई द्वारा वारिसान :-

1- जितेन्द्र कुमार शर्मा आयु 55साल

2- मुनीन्द्र कुमार शर्मा, आयु 40 साल

पुत्रगण जगदीश प्रसाद

3- गोमती बाई पत्नी हरचरण लाल पुत्री रामनाथ शर्मा आयु 55 साल व्यवसाय- गृहकार्य

4- शान्तीबाई पत्नी गोपीनाथ शर्मा पुत्री रामनाथ शर्मा आयु 50 साल

द्वारा मुख्त्यारआम मदन मोहन शर्मा पुत्र रामकिशन शर्मा निवासी - ग्राम सिहोर तहसील नरवर जिला शिवपुरी

= आवेदकगण

बनाम

भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES 5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

1- हद्दू पुत्र कमल जाटव आयु 65 साल अदाजन

2- रमेश पुत्र विन्द्रा आयु 33 साल अदाजन

3- प्रकाश पुत्र बिन्द्रा आयु 33 साल अदाजन

4- फूलवती

5- गोराबाई

6- भागवती बाई पुत्री भ T विन्द्रा जाटव

7- [illegible] बाई पत्नी भूरा जाटव

8- नत्था पुत्र भूरा

9- लाली पुत्री भूरा

10- रामबाई पुत्री भूरा

11- ब जसवन्त पुत्र भूरा

12- सियाबाई पुत्री झल्लू जाटव

13- पुष्पापुत्री झल्लू जाटव

14- धाती पुत्री कुण्डाराम

15- लोकपाल सिंह गुर्जर पुत्र श्री प्रीतम सिंह गुर्जर आयु 55 साल अदाजन सब निवासी गण ग्राम सिहोर तहसील नरवर जिला शिवपुरी -- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 27.1.2016 पारित न्यायालय अपर आयुक्त जिला ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 15/14-15 विविध प्र उन्वान मृतक पातीबाई बनाम हद्दू से

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

A 1023-III/16 आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1023-~~दो~~/16 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19 -8-2016	आवेदक के अधिवकता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2- आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध अधिनस्थ न्यायालय के आदेश के प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि अपर आयुक्त के समक्ष दिनांक 18-11-14 को प्रकरण पुर्नस्थापित आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन के साथ विलम्ब क्षमा हेतु धारा 5 अवधि विधान का आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त न्यायालय द्वारा अवगत कराये जाने के बाद भी आवेदक द्वारा एक वर्ष की समयावधि व्यतीत होने के बाद भी पक्षकार के हस्ताक्षर युक्त वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी कारण अपर आयुक्त ने रूचि न लेने से आवेदन अस्वीकार किया है। एक वर्ष से अधिक समय तक बिना वकालतनामे के प्रकरण में हाजिर होना एवं बिना अनुपस्थिति पर खारिज हुये प्रकरण को पुर्नस्थापित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना तथा न्यायालय द्वारा एक वर्ष लगातार वकालतनामे प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने के बावत भी आदेश पारित न करना आवेदक एवं उनके अभिभाषक की अरूचि को प्रकट करता है। इसी कारण अपर आयुक्त द्वारा प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है। अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये निष्कर्ष में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (के. सी. जैन) सदस्य	